अत्यावश्यक / पंजीकृत

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः 466 / परिपत्र / पत्रा0 / 06
देहरादूनः दिनांकः 29 मार्च, 2007

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः कारागार की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह संज्ञान में आया है कि कारागार के अधिकारियों द्वारा बैरिकों की जॉच जेल मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नहीं की जा रही है जिससे कारागार प्रशासन के समक्ष अनेक प्रकार की अनियमिततायें प्रकाश में आ रही हैं। कारागार की सुरक्षा व्यवस्था हेतु जेल मैनुअल के प्रस्तर 1010 में स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये हैं कि अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जेलर और उनके अधीनस्थ बैरिकों की जॉच और कैदियों के लाकप वाह्य गैंग के लिये दोष सिद्ध कैदियों कर चयन और सुरक्षित अभिरक्षा और वाह्य गैंग में दोषसिद्ध कैदियों के नियोजन की शर्तों का पालन करने के निर्देश का अनुपालन करें। लेकिन कारागार अधिकारियों द्वारा जेल मैनुअल के प्रस्तर 1010 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिससे कारागार पर निरूद्ध बंदियों के पास अभिरक्षा के दौरान निषिद्ध वस्तुऐं प्राप्त होना संज्ञान में भी आया है।

जेल मैनुअल के प्रस्तर–1117 के अन्तर्गत निषिद्ध चीजों के प्रस्तुत किये जाने, हटाये जाने या पूर्ति किया जाना रोकने के निर्देश उल्लिखित हैं, जिनका पूर्ण परिपालन प्रभावी रूप से न किये जाने की स्थिति में प्रायः कारागारों में निषिद्ध वस्तुऐं पाया जाना संज्ञान में आया है जिससे कारागार प्रशासन की छवि धूमिल होती है।

अतएव जेल मैनुअल में कारागार की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु निहित उक्त प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन एवं अनुपालन का प्रभावी अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता के संज्ञान में आने पर अधीक्षक एवं कारापाल के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

पत्र की प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित प्रभारियों को अवगत करा दें तथा प्राप्ति की सूचना कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

29/31

भवदीय,
(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिपत्र सं0-484 /92/मुख्या0/2008

देहरादून:दिनांक: 04 जून, 2008

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय: कारागारों की सुरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य की सीमायें पड़ोसी देश नेपाल से मिलती हैं जहाँ बदलते राजनीतिक परिवेश में माओवादी संगठन अति सक्रिय हैं। उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न कारागारों में वर्तमान में कतिपय तथाकथित माओवादी निरूद्ध हैं, जिनमें से जमानत पर रिहा कुछ माओवादी अत्यन्त सक्रिय हैं एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया जाना प्रशासन के संज्ञान में आया है।

अन्य प्रान्तों में नक्सलियों द्वारा कारागारों पर हमले कर अपने साथियों को छुड़ाने एवं हथियार लूटने की घटनायें की गई हैं। उत्तराखण्ड राज्य में भी माओ/नक्सल संगठनों की गतिविधियां परिलक्षित हुई हैं। अतएव कारागारों की सुदृढ़ सुरक्षा वर्तमान में अत्यावश्यक है।

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर 2007, दिनांक 29 मार्च 2007 एवं 04 जनवरी 2008 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पुन: निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिस्थितियों में जबकि शातिर/प्रभावशाली किस्म के बंदी प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध हैं, कारागार के मुख्य सुरक्षा स्थलों पर अच्छी ख्याति के बन्दीरक्षकों की तैनाती किये जाने, कारागार में प्रविष्ट होने वाले बंदियों/ मुलाकातियों/ कारागार कर्मियों की सघन तलाशी लिये जाने, कारागार में निरूद्ध टाप-टेन बंदियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी दृष्टि रखे जाने, अदालत जाने व वापस आने के पश्चात बंदियों की तलाशी किये जाने व तलाशी का परिणाम अँकित किये जाने एवं संदिग्ध प्रकृति के कारागार कर्मियों को भी चिन्हित किया जाना कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक है।

कारागारों की सुरक्षार्थ कारागार के मुख्य द्वार एवं शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु तैनात प्रहरी की सतर्कता, इस स्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, अदालत जाने वाले तथा अदालत से लौटने वाले बन्दियों की प्रभावी तलाशी, कारागार खुलने एवं तालाबंदी के समय कारागार में निरूद्ध बंदियों एवं उनकी बैरकों की प्रभावी तलाशी,

क्रमश:--2

अधीक्षक/कारापाल द्वारा अनिश्चित अन्तरालों में कारागार का भ्रमण, रात्रिकालीन भ्रमण, वाह्य कमानों में निकाले जाने वाले बंदियों एवं मुख्य प्राचीर की आन्तरिक व वाह्य सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया जाना एवं कारागार में निरूद्ध बंदियों के उक्त प्रकार के पूर्ण विवरण (अपराधवार) सहित कारागार मुख्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

4/6/08

भवदीय,

महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

फैक्स

शीर्ष प्राथमिकता

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 858/का० सु०/07 देहरादूनःदिनांकः 07 अगस्त, 2007

समस्त अधीक्षक, / कारापाल,
सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज,
उधमसिंहनगर /
जिला / उप कारागार,
उत्तराखण्ड।

विषय–जिला कारागारों / उप कारागारों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में।

आप अवगत हैं कि प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध बंदियों में खतरनाक किस्म के आपराधिक तत्वों तथा संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण कारागारों की सुरक्षा–व्यवस्था एवं प्रबन्ध पर अतिरिक्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि इसके निमित्त जेल मैनुअल में अधिकारियों / कर्मचारियों के पदों के अनुरूप उनके दायित्व निर्धारित किये गये हैं जिनका अनुपालन किया जाना कारागार अधिकारियों / कर्मचारियों का दायित्व है, लेकिन सतत् सतर्कता बनायी जानी समय की माँग है।

2– यह संज्ञान में आया है कि पुलिस अभिरक्षा से एक बंदी के पलायन की घटना घटित हुई है। यदि इस प्रकार की घटना कारागार में घटित होती है तो संबंधित अधीक्षक / कारापाल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
१८

अत्यावश्यक / पंजीकृत

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्याः 867 / परिपत्र / मुख्या0 / 2006
देहरादूनःदिनांकः 09, अगस्त, 2007

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः कारागार प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि कारागार प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्रस्तावित बिन्दुओं पर चालू तिमाही जुलाई–सितम्बर 2007 के संबंध में एक सुस्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर उसके कार्यान्वयन हेतु इस आशय से प्रेषित है कि कार्ययोजना को कार्यान्वित कर अब तक की गई कार्यवाही / परिणाम एवं उपलब्धि का आलेख्य माह सितम्बर, 2007 के प्रथम सप्ताह में हरसंभव स्थिति में कारागार मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

1– कारागार प्रशासन को गतिशील, कार्यशील एवं अनुशासित बनाये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– शासन एवं मुख्यालय से प्राप्त पत्रों पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जाय व अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये बिना आख्या / सूचना उपलब्ध कराई जाय।

3– भ्रष्टाचार रहित संवेदनशील प्रशासन कार्यालयाध्यक्षों का मुख्य कर्तव्य हो।

4– अनावश्यक खर्चों पर अँकुश लगाये जाने का प्रयास किया जाय। यथासंभव वाहनों का प्रयोग मितव्ययता से किया जाय, कारागार व कारागार परिसर में विद्युत बल्ब के स्थान पर आधुनिक तकनीक से निर्मित सी0एफ0एल0 का प्रयोग किया जाय।

5– कारागारों की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण एवं सामाजिक परिवेश के अनुकूल औद्योगिक विकास की संभावनायें तलाशी जायें। सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज में अवशेष भूमि जो कि कृषि योग्य है, के समुचित उपयोग हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से उन्नत बीज प्राप्त कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाय एवं जिला कारागार हरिद्वार जहाँ पर हथकरघा उद्योग स्थापित है, में त्वरित व मितव्ययी उत्पादन बढ़ाने हेतु जिले के तकनीकी विभाग से सम्पर्क कर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाय। अवशेष कारागारें भी उपलब्ध संशाधनों से कृषि योग्य भूमि का समुचित सदुपयोग करें।

6– कारागार एवं कारागार परिसर में उपलब्ध भूमि पर शोभाकार, फलदार, औषधीय पौधों का रोपण उपलब्ध संशाधनों से किया जाय। जिला कारागार हरिद्वार औषधीय खेती के उत्पादन का अनुकरणीय उदाहरण है।

7– राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित कारागारें उपलब्ध क्षेत्र में जड़ी बूटियों की खेती हेतु संभावनाये तलाश करने का प्रयास करें।

8– प्रदेश की प्रत्येक कारागार पर विभाग द्वारा कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। अतएव सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर इन्टरनेट सुविधा के अन्तर्गत वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेने का प्रयास करें।

9– प्रत्येक नागरिक को आधुनिक चिकित्सा की सुविधा सुलभ हो। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक कारागार हेतु चिकित्सक/फार्मसिस्ट के पद सृजित हैं। विशेषज्ञ/तकनीकी पदों के अतिरिक्त सृजन हेतु प्रकरण शासन के विचाराधीन है। अतएव उपलब्ध संशाधनों का बेहतर उपयोग प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु किया जाय।

10– महिलाओं एवं बच्चों के लिये विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समय–समय पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान का लाभ लिया जाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

11– कारागार विभाग के अन्तर्गत निरूद्ध बन्दियों हेतु आधुनिक उपकरणयुक्त शौचालय सभी कारागारों में स्थापित हैं। नवनिर्मित कारागारों में भी उचित व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य की किसी कारागार पर सिर पर मैला ढोने की प्रथा विद्यमान नहीं है। यह व्यवस्था सतत् रूप से विद्यमान रहे ऐसा प्रयास किया जाय।

12– राज्य कर्मचारियों में उच्च मनोबल स्थापित करने के लिये उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु संस्तुतियां उपलब्ध कराई जायें जैसा कि समय–समय पर वॉछित होती हैं, ताकि उल्लेखनीय कार्य हेतु योग्य कर्मियों को पुरस्कृत/सम्मानित किया जाय।

13– प्रदेश की परम्परा व संस्कृति के अनुरूप उच्च नैतिक आचरण अपनाये जाने हेतु समस्त कर्मियों एवं निरूद्ध बन्दियों को प्रोत्साहित किया जाय तथा स्वयं भी उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शित करें ताकि अधीनस्थ उसका अनुकरण कर प्रदेश को उसकी परम्परा व संस्कृति के अनुरूप सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कराने में समर्थ हो सकें।

14– शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, अतएव उपलब्ध संशाधनों के अन्तर्गत प्रयास किया जाय कि कारागार में निरूद्ध कोई बन्दी निरक्षर न रहे।

15– उक्त के अतिरिक्त प्रशासन, वित्तीय प्रबन्धन, औद्योगिक विकास, कृषि एवं बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, समाज कल्याण, राज्य कर्मचारी हित एवं अन्य विविध प्रकरणों में कोई बिन्दु कार्यान्वयन योग्य हो तो उसके संबंध में भी आख्या उपलब्ध कराई जाय।

अतएव उक्तानुसार माह जुलाई–सितम्बर, 2007 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना को कार्यान्वित कर कृत कार्यवाही/परिणाम एवं उपलब्धि का आलेख्य माह सितम्बर, 2007 के प्रथम सप्ताह में हरसंभव स्थिति में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि तदनुसार शासन को अवगत कराया जा सके।

6/8/07

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड।

कारागार मुख्यालय

कार्यालय महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः 1195 / परिपत्र / मुख्या0 / 2007 देहरादूनःदिनांकः 29, नवम्बर, 2007

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः **कारागारों की सुरक्षा, संरक्षा एवं अनुशासन व्यवस्था के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रदेश की अधीनस्थ कारागारों के स्तर से समय समय पर वॉछित विभिन्न सूचनायें प्रायः अनेकों अनुस्मारकों के प्रेषण के उपरान्त कारागार मुख्यालय को प्राप्त होती हैं जिससे कारागारों की सुरक्षा, संरक्षा एवं अनुशासनिक बिन्दुओं पर यथासमय सूचना प्राप्त न होने पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतएव निम्नानुसार सुरक्षा, मुलाकात, चिकित्सा व्यवस्था, बंदी सुविधाय, स्वच्छता, मनोरंजन, पारिश्रमिक, अधिष्ठान, न्यायालय प्रकरण, कृषि, उद्योग, शिकायत, लोक अदालत, बदी मृत्यु के बिन्दुओं पर प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह तक तथ्यात्मक सूचनायें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। माह सितम्बर–नवम्बर के प्रथम त्रैमास की सूचना दिसम्बर 07 के प्रथम सप्ताह तक एवं दिसम्बर,07–फरवरी,08 के त्रैमास की सूचना मार्च,08 के प्रथम सप्ताह तक तथा उत्तरोत्तर इसी क्रम में निरन्तरता एवं समयबद्धता से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत सूचना के प्रेषण में किसी प्रकार के विलम्ब हेतु अधीक्षक / कारापाल को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जायेगा। चैक प्वाइन्टस निम्नवत हैं:–

सुरक्षा व्यवस्था–

1– मुख्य द्वार से पहले चैक पोस्ट निर्मित है अथवा नहीं। यदि निर्मित है तो चैक पोस्ट का संचालन ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं।

2– शस्त्रागार की स्थिति, आग्नेयास्त्रों की संख्या व उनकी स्थिति, लाठियों एवं अन्य उपलब्ध शस्त्रों, मशालों आदि की संख्या व स्थिति का विवरण।

3– सुरक्षा कर्मियों / वार्डर संवर्ग की कुल संख्या एवं उनकी ड्यूटी वाले सुरक्षा स्थलों के विपरीत अन्य स्थानों यथा– डाक ड्यूटी, कार्यालय ड्यूटी, अधिकारियों के निवास आदि स्थलों पर ड्यूटी के प्रयोजन से तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या एवं इन स्थानों पर तैनाती का औचित्य।

4– अदालत जाने वाले तथा अदालत से लौटने वाले बंदियों की तलाशी हेतु सुरक्षा बल तथा कारागार कर्मियों द्वारा उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा।

5– तालाबन्दी के समय जेल मैनुअल प्रस्तर–768 के अनुरूप बंदियों बैरक एवं अहातो की सघन तलाशी कराई जा रही है अथवा नहीं।

6– कारागारों में बन्दियों के निरूद्धि स्थलों / बैरकों की आकस्मिक रूप से

...2

व्यापक सघन तलाशी कराई जाय और सुनिश्चित किया जाय कि कारागार में बंदियों के पास किसी भी प्रकार का निषिद्ध एवं आपत्तिजनक सामान उपलब्ध न रहे। तलाशी के दौरान बरामद होने वाले निषिद्ध/आपत्तिजनक वस्तुओं की तत्काल उसी समय सूची तैयार कर उस पर कारागार अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जायें तथा इस निमित्त समुचित रूप से उत्तरदायित्व निर्धारित कर उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराये जायें।

7— कारागारों पर रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाय जिसमें यह देखा जाये कि सभी निर्धारित स्थलों एवं बैरकों पर समुचित रूप से सुरक्षा कर्मी लगाये जा रहे हैं अथवा नहीं।

8— बैरक लिस्टों की जॉच पड़ताल, लाकिंग—अनलाकिंग अधिकारी के हस्ताक्षर बंदियों की बर्थ संख्या आदि के अॅकन की समीक्षा की जाय।

9— मुख्य प्राचीर की आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाय, जिसमें यह देखा जाय कि मुख्य प्राचीर की सभी पोस्टों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं अथवा नहीं। मुख्य प्रावीर पर प्रकाश व्यवस्था की भी समीक्षा की जाय।

10— अधीक्षक एवं कारापाल द्वारा अनिश्चित अन्तराल पर कारागार का आकस्मिक भ्रमण किया जा रहा है अथवा नहीं।

11— कारागार पर रात्रिकालीन भ्रमण नियमित रूप से किये जा रहे हैं अथवा नहीं

12— वाह्य कमानों में निकाले जाने वाले बंदियों की समीक्षा की जाय, जिसमें यह देखा जाय कि बड़ी अपराध धाराओं के बंदियों को तो इन कमानों में नही निकाला जा रहा है और बाहर निकाले जाने वाली कमानें सक्षम अधिकारी के आदेश से ही निकाली जा रही हैं। बाहर निकाली जाने वाली कमानों के औचित्य की भी समीक्षा की जाय और यह देखा जाय कि अधिकारियों द्वारा निजी कार्य हेतु तो कमान नहीं निकाली जा रही है। वाह्य कमानों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की समीक्षा की जाय और यह देखा जाय कि प्रत्येक कमान के साथ पर्याप्त सुरक्षा कर्मी भेजे जा रहे हैं अथवा नहीं तथा प्रतिदिन अधिकारियों द्वारा आकस्मिक चैकिंग की जा रही है अथवा नहीं।

13— वाह्य चिकित्सा संस्थानों में उपचार हेतु भर्ती बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाय तथा यह देखा जाय कि वाह्य संस्थानों में भर्ती बंदियों की सुरक्षा में लगाये गये कर्मियों की अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रति दिन चैकिंग की जा रही है अथवा नहीं।

मुलाकात—

14— यह देखा जाय कि बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों से पिटीशन राइटर द्वारा पर्ची लिखाने का निर्धारित शुल्क से अधिक तो वसूल नहीं किया जा रहा है।

15— मुलाकातियों की कारागार में जाते समय निर्दिष्ट स्थलों पर सघन तलाशी कराई जा रही है अथवा नहीं।

16— मुलाकात के उपरान्त बंदियों के वापस बैरकों में जाते समय उनकी व उनके सामानों की निर्दिष्ट स्थलों पर सघन तलाशी कराई जा रही है अथवा नहीं।

17— कुख्यात अपराधियों की मुलाकात प्रकिया की समीक्षा कर यह देखा जाय कि उनकी मुलाकात के अन्तराल तथा मुलाकातियों का विवरण व उसकी सूचना समय से डी0एम0 व एस0एस0पी0 / एस0पी0 को दी जा रही है अथवा नहीं।

18— मुलाकातें निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही कराई जा रही हैं और कहीं कोई अवैध मुलाकात तो नहीं कराई जा रही है और मुलाकातें मुलाकात पर्चियां सक्षत प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही कराई जा रही हैं अथवा नहीं।

19— मुलाकातियों / बंदियों से मुलाकात के समय कारागार में किसी स्तर पर अवैध धन तो नहीं वसूला जा रहा है तथा मुलाकातियों के माध्यम से कारागार में प्रभावशाली बंदियों को नाजायज एवं निषिद्ध सामान तो नहीं पहुँच रहा है।

चिकित्सा व्यवस्था—

20— अस्पताल में भर्ती बंदियों की संख्या एवं उनके भर्ती होने के कारणो तथा मरीजों के अलावा अस्पताल में अन्य उपस्थित बंदियों के बारे में व्यापक छानबीन कर यह सुनिश्चित किया जाय कि कारागार अस्पताल में वास्तविक रूप से बीमार बंदी ही भर्ती हों तथा किसी स्वस्थ बंदी को अनधिकृत लाभ पहुँचाने की दृष्टि से अस्पताल में भर्ती न रखा गया हो।

21— वाह्य चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीज बंदियों का विवरण, उनको वाह्य संस्थानों में भेजे जाने का औचित्य तथा इस बात की छानबीन की जाय कि वे नियमित रूप से भेजे गये हैं अथवा नहीं। वाह्य चिकित्सा संस्थानों में भर्ती मरीज पुलिस अभिरक्षा में भेजे गये हैं अथवा कारागार की सुरक्षा में, इसकी भी समीक्षा की जाय।

22— परिपत्र संख्या—33 / सामा—1(5) दिनांक 28.05.99 द्वारा पूर्व में निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय से सम्पर्क करके बंदियों के परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा प्रत्येक माह कितने बंदियों का परीक्षण किया गया, उसकी सूचना आगामी माह की 07 तारीख तक मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय।

23— यह भी देखा जाय कि चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं हैं अथवा नहीं। चिकित्सालय एवं पाकशाला की सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की जाय।

बंदियों को दी जाने वाली सुविधायें—

24— बंदी वस्त्र, बिस्तर एवं बर्तनों की स्थिति।

25— बैरकों व अहातों में प्रकाश व्यवस्था की स्थिति। आकस्मिक रूप से बिजली चले जाने पर वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था की स्थिति।

26— बैरकों एवं अहातों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की जाय तथा शौचालयों की संख्या व सफाई व्यवस्था की स्थिति।

27— बंदियों हेतु स्वच्छ पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवैल, ओवरहैड टैंक, इंडिया मार्क—।। हैंड पम्प एवं साधारण हैंड पम्प की संख्या व उनकी स्थिति। ओवरहैड टैंक का नियमित रूप से क्लोरीनेशन किया जा रहा है अथवा नहीं।

28— बंदियों के स्वच्छ होने, उन्हें समुचित उपचार दिये जाने, उनका पाक्षिक वजन लिये जाने की समीक्षा की जाय।

29— पाकशाला में लगाये गये बंदियों की समीक्षा की जाय और यह देखा जाय कि किसी बंदी को उसकी इच्छा के विरूद्ध पाकशाला में तो नहीं लगाया गया है। पाकशाला में काम पर लगे बंदियों के बाल व नाखून कटे हों तथा वे निर्धारित परिधान में हों।

30— पाकशाला में बंदियों हेतु तैयार किये जा रहे नाश्ते व भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा यह देखा जाय कि उसमें किसी प्रकार की कटौती तो नहीं की जा रही है। भोजन व्यवस्था में बंदियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हेतु नियमित रूप से 15 दिन के अन्तराल पर बदल–बदल कर पंच बंदी नियुक्त किये जा रहे है अथवा नहीं तथा पंच बंदी रजिस्टर मेनटेन किया जा रहा है अथवा नहीं।

31— बंदियों के उपयोगार्थ खाद्य पदार्थ/अनाज आदि की गुणवत्ता की जाँच की जाय तथा गल्ला गोदाम स्टोर का सत्यापन कर देखा जाय कि बंदियों के भोजन का पूरा राशन निर्गत किया जा रहा है अथवा नहीं तथा राशन निर्गत करने हेतु निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए पारदर्शिता बरती जा रही है अथवा नहीं।

साक्षरता, मनोरंजन एवं बंदियों के मानसिक उत्थान हेतु कार्य–

32— बंदियों को साक्षर बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाय।

33— बंदियों के मनोरंजन हेतु उपलब्ध कराये गये टी0वी0सेटों की संख्या व उनके क्रियाशील होने की स्थिति।

34— बंदियों के मानसिक उत्थान हेतु कारागारों में महापुरूषों व संत महात्माओं के प्रवचन आदि सुनाने की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं।

बंदियों को पारिश्रमिक का भुगतान–

35— कारागार पर श्रम में लगे बंदियों के पारिश्रमिक भुगतान की समीक्षा की जाय और यह देखा जाय कि कारागार में विचाराधीन बंदियों को श्रम हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा उनसे जबरन श्रम लिया जा रहा है। वेजेज रजिस्टर को ठीक ढंग से मेनटेन किया जा रहा है अथवा नहीं।

न्यायालय में लंबित वाद–

36— न्यायालयवार बंदी रिटों की संख्या, उनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने संबंधी कार्यवाही की स्थिति।

37— न्यायालयवार कर्मचारी रिटों की संख्या, उनमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने संबंधी कार्यवाही की स्थिति।

अधिष्ठान–

38— कर्मचारियों की वेतनवृद्धि, सलेक्शन ग्रेड व पदोन्नति की समीक्षा।

39— वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन तथा विभागीय कार्यवाहियों के निस्तारण की स्थिति।

40— सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी, जी0पी0फंड, बीमा आदि के लंबित प्रकरणों की स्थिति।

कृषि उद्योग–

41– कृषि एवं औद्योगिक उत्पादनों की समीक्षा की जाय और उनके लाभकारी अथवा अलाभकारी होने के संबंध में समीक्षा की जाय।

42– उद्योगों हेतु कच्चे माल की उपलब्धता की स्थिति तथा इन उद्योगों से संबंधित अभिलेखों के रख–रखाव की स्थिति।

43– कारागार परिसर में उपलब्ध पेड़ों के रजिस्टर के रख–रखाव की स्थिति।

शिकायत–

44– बंदियों द्वारा बताई जाने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाय तथा गंभीर किस्म की शिकायत होने पर उसके निमित्त उत्तरदायित्व निर्धारित कर मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

45– मानवाधिकार से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति तथा प्रकरणों के लंबित रहने की समीक्षा की जाय।

लोक अदालतें–

46– कारागार पर लगने वाली लोक अदालतों के माध्यम से रिहा होने वाले बंदियों की संख्या व विवरण से मुख्यालय को अवगत कराया जाय।

कारागारों मे बंदियों की मृत्यु–

47– प्रायः देखने में आया है कि मृतक बंदियों की विसरा रिपोर्ट तथा बंदी मृत्यु की घटनाओं से संबंधित मजिस्टीरियल जॉच रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होती है विशेषकर विसरा रिपोर्ट मृत्यु के कई वर्ष उपरान्त प्राप्त होती है। ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाय तथा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रयास करें।

संयुक्त निरीक्षण–

48– जनपदीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है अथवा नहीं यदि नहीं तो नियमित निरीक्षण हेतु अनुरोध किया जाय।

49– उत्तराखण्ड राज्य गठनोपरान्त कारागारों के विभिन्न निरीक्षणों यथा संयुक्त निरीक्षण, विभागीय निरीक्षण, राज्य स्तरीय निरीक्षण, शासन स्तरीय निरीक्षणों आदि की समीक्षा की जाय तथा निरीक्षण टिप्पणियों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया जाय।

26/11/07

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड कारागार

कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिपत्र संख्या: 1250 /79/कारा0प्रशा0/2007

देहरादून:दिनांक: 04, जनवरी, 2008

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय: कारागार एवं कारागार परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत ही है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमायें पड़ोसी देश नेपाल से मिलने के कारण व उत्तर प्रदेश राज्य में विगत दिनों बड़ी आपराधिक वारदातों के दृष्टिगत राज्य की कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था की सतत् निगरानी किया जाना समय की आवश्यकता हो गई है।

अतएव उक्त परिस्थितियों में जबकि शातिर/प्रभावशाली किस्म के बंदी प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध है, कारागार के मुख्य सुरक्षा स्थलों पर अच्छी ख्याति के बन्दीरक्षकों की तैनाती किये जाने, कारागार में प्रविष्ट होने वाले बंदियों/ मुलाकातियों/ कारागार कर्मियों की सघन तलाशी लिये जाने, कारागार में निरूद्ध टाप-टेन बंदियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी दृष्टि रखे जाने, अदालत जाने व वापस आने के पश्चात बंदियों की तलाशी किये जाने व तलाशी का परिणाम अँकित किये जाने एवं संदिग्ध प्रकृति के कारागार कर्मियों को भी चिन्हित किया जाना कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक है।

कारागारों की सुरक्षार्थ कारागार के मुख्य द्वार एवं शस्त्रागार की सुरक्षा हेतु तैनात प्रहरी की सतर्कता, इस स्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, शस्त्रागार की स्थिति, अदालतत जाने वाले तथा अदालत से लौटने वाले बन्दियों की प्रभावी तलाशी, जेल मैलुअल प्रस्तर-768 के अनुसार तालाबंदी के समय कारागार में निरूद्ध बंदियों एवं

कमशः--2

उनकी बैरकों की प्रभावी तलाशी, अधीक्षक/कारापाल द्वारा अनिश्चित अन्तरालों में कारागार का भ्रमण, रात्रिकालीन भ्रमण, वाह्य कमानों में निकाले जाने वाले बंदियों एवं मुख्य प्राचीर की आन्तरिक व वाह्य सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें।

अतएव उक्तांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। प्रसारित निर्देशों के सम्बन्ध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तराखण्ड, देहरादून।